

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली [छ0ग0]

—:प्रवेश—पत्र:—
प्रारंभिक लिखित परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 पद हेतु

परीक्षार्थी अपना
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो,
चस्पित कर
स्वहस्ताक्षरित करे।

परीक्षार्थी का रोल नंबर AG3092	परीक्षार्थी का पंजीयन क्रमांक 4876
परीक्षा का दिनांक:— 26.11.2023	परीक्षा का दिन:— रविवार
परीक्षा केन्द्र का नाम:— शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमपुरा, मुंगेली	
परीक्षा का समय:— दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक	

—:परीक्षार्थी का विवरण:—

आवेदित पद का नाम:— सहायक ग्रेड-3	
परीक्षार्थी का नाम:— चितरंजन कुमार राठौर	
पिता/पति का नाम:— श्री त्रिवेणी प्रसाद राठौर	
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)

—:परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:—

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अर्हता माना जायेगा।
6. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
7. परीक्षार्थी को केवल **नीली स्याही बाल पेन** के उपयोग की अनुमति होगी।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली [छ0ग0]

—:प्रवेश—पत्र:—
प्रारंभिक लिखित परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 पद हेतु

परीक्षार्थी अपना
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो,
चस्पित कर
स्वहस्ताक्षरित करे।

परीक्षार्थी का रोल नंबर AG3093	परीक्षार्थी का पंजीयन क्रमांक 12021
परीक्षा का दिनांक:— 26.11.2023	परीक्षा का दिन:— रविवार
परीक्षा केन्द्र का नाम:— शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमपुरा, मुंगेली	
परीक्षा का समय:— दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक	

—:परीक्षार्थी का विवरण:—

आवेदित पद का नाम:— सहायक ग्रेड-3	
परीक्षार्थी का नाम:— तामेश्वर कौशिक	
पिता/पति का नाम:— श्री रामराज कौशिक	
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)

—:परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:—

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अर्हता माना जायेगा।
6. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
7. परीक्षार्थी को केवल **नीली स्याही बाल पेन** के उपयोग की अनुमति होगी।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली [छ0ग0]

—:प्रवेश—पत्र:—
प्रारंभिक लिखित परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 पद हेतु

परीक्षार्थी अपना
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो,
चस्पित कर
स्वहस्ताक्षरित करे।

परीक्षार्थी का रोल नंबर AG3094	परीक्षार्थी का पंजीयन क्रमांक 5165
परीक्षा का दिनांक:— 26.11.2023	परीक्षा का दिन:— रविवार
परीक्षा केन्द्र का नाम:— शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमपुरा, मुंगेली	
परीक्षा का समय:— दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक	

—:परीक्षार्थी का विवरण:—

आवेदित पद का नाम:— सहायक ग्रेड-3	
परीक्षार्थी का नाम:— रानू विश्वकर्मा	
पिता/पति का नाम:— श्री गजेन्द्र विश्वकर्मा	
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)

—:परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:—

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अर्हता माना जायेगा।
6. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
7. परीक्षार्थी को केवल **नीली स्याही बाल पेन** के उपयोग की अनुमति होगी।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली {छ0ग0}

—:प्रवेश—पत्र:—
प्रारंभिक लिखित परीक्षा
सहायक ग्रेड-3 पद हेतु

परीक्षार्थी अपना
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो,
चस्पित कर
स्वहस्ताक्षरित करे।

परीक्षार्थी का रोल नंबर AG3095	परीक्षार्थी का पंजीयन क्रमांक 5295
परीक्षा का दिनांक:— 26.11.2023	परीक्षा का दिन:— रविवार
परीक्षा केन्द्र का नाम:— शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमपुरा, मुंगेली	
परीक्षा का समय:— दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक	

—:परीक्षार्थी का विवरण:—

आवेदित पद का नाम:— सहायक ग्रेड-3	
परीक्षार्थी का नाम:— सरोज बंजारे	
पिता/पति का नाम:— श्री सुन्दरलाल बंजारे	
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)

—:परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:—

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समय पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3. परीक्षार्थी को अपने साथ अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अर्हता माना जायेगा।
6. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
7. परीक्षार्थी को केवल **नीली स्याही बाल पेन** के उपयोग की अनुमति होगी।